

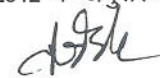
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/ 16486-503 दिनांक :- 28 फरवरी 2013

आदेश संख्या 298/2012-13

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2008-09, 2009-10, विभागीय पदोन्नति समिति नियमित वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 की सिफारिशों के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके द्वारा तत्समय संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये थे। अब इनके द्वारा वांछित संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण निम्नांकित क.लेखाकारों की पदोन्नति की जाकर लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.2) 9300-34800 ग्रेड-पे नम्बर 12 (रुपये 3600/-) में स्थानापन रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	मेरिट नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार का नाम सर्वश्री	अनु.जा/ जन.जा.	पदोन्नति वर्ष	जन्मतिथि
1	2	3	4		5
1.	536/83	बजरंग बली बनवेलू		2010-11	10.09.1960
2.	614/86	लक्ष्मणराम कृष्णियाँ		2010-11	03.12.1959
3.	354/90	राजेन्द्र कुमार गोरेटा	अजा	2010-11	01.01.1968
4.	940/86	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता		2011-12	02.07.1960
5.	965/86	बाबूलाल शर्मा सेवानिवृत्त		2011-12	03.05.1952
6.	84/88	बंशीधर सैनी		2012-13	01.07.1966

उपयुक्त कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुए (क्र.सं.5 को छोड़कर) कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या प.2 (10) वित्त/राजस्व/07 दिनांक 30.10.2012 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।


निदेशक

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/ 16486-503 दिनांक :- 28 फरवरी 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित क० लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावें।
- अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक-11) कार्यालय हाजा।
- कोषाधिकारी.....
- एसीपी (उपनिदेशक-कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- श्री..... कनिष्ठ लेखाकार विभाग/ कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
- निजी सहायक निदेशक महोदय
- निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)